[17/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 242]

मध्यप्रदेश शासन
खेल और युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

—: आदेश :—

भोपाल, दिनांक 5/3/13

क्रमांक एफ 2—7/2013/नौ :: राज्य शासन, एतद् द्वारा, सिरोंज जिला—विदिशा में खेल परिसर के निर्माण व संचालन हेतु सम्पन्न स्थाई वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 4 फरवरी, 2013 में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करती है:—

1. योजना की अवधि वर्ष 2013—17 होगी।
2. योजना में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय हेतु प्राक्कलित राशि रू. 166.31 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख इक्कतीस हजार रूपये) होगी।
3. स्टेडियम का निर्माण कार्य 2 वर्षो में सुनिश्चित किया जाय।
4. स्थायी स्वरूप की खेल सामग्री एवं अन्य उपकरण यथा—रोलर,ग्रास कटर स्कोर—बोर्ड मेन्युअल,स्कोर—बोर्ड इलेक्ट्रानिक,गोल—पोस्ट तथा जिम उपकरण के लिये 25.00 लाख की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि सामग्री क्रय करते समय भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे। आवश्यकता के अनुरूप ही इन सामग्री का क्रय किया जावे।
5. स्टेडियम निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू.के माध्यम से कराया जाय।
6. वर्ष 2013—14 हेतु राशि रू.50.00 लाख,वर्ष 2014—15 में रूपये 100.00 लाख तथा वर्ष 2015—16 में रूपये 41.31 लाख का आवंटन सुनिश्चित किया जाय।
7. स्टेडियम का निर्माण कार्य स्वीकृत राशि के अधीन ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. योजना अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति में प्रस्तावित मदों हेतु निर्धारित राशि की सीमा के अधीन ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पर्वत सिंह)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खेल और युवा कल्याण विभाग

निरंतर......2

भोपाल, दिनांक 5/3

पृ .क्रमांक एफ 2–7/2013/नौ

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. सदस्य सचिव,म.प्र.राज्य योजना आयोग,विन्ध्याचल भवन,भोपाल।
3. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल
4. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,आदिम जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
5. सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
6. संचालक,खेल और युवा कल्याण संचालनालय,भोपाल।
7. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन,कोषालय,भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला–विदिशा ।
9. निज सहायक,मान.राज्य मंत्रीजी (स्वतंत्र प्रभार),खेल और युवा कल्याण।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खेल और युवा कल्याण विभाग

5/3